



उमेश सिंह बनाम श्रीमिथानी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज <i>हस्ता</i> क्र. 48/23	नम्बर व अहकाम हुक्म की जारी हुये
14.06.23	<p>प्रकरण में दिनांक 14.06.2023 को हरदास का बास महंगाई राहत कैम्प/ प्रशासन गांवों के संग में पेश हुई। हरदास का बास महंगाई राहत कैम्प में पक्षकारान उपस्थित। हरदास का बास महंगाई राहत कैम्प में पक्षकारान द्वारा निवेदन करने पर नाम दुरुस्त हो जाने पर प्रकरण को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं होने पर प्रार्थी/वादी के द्वारा प्रार्थना पत्र विद्वा का पेश किया। वास्ते आगामी कार्यवाही हेतु पत्रावली दिनांक 24.08.2023 को पेश हो</p> <p style="text-align: center;"> दिलीप सिंह सहायक कलक्टर (रिस्ट्रैक) श्रीमधोपुर (सीकर)</p>	
24.08.23	<p>प्रकरण में दिनांक 14.06.2023 को हरदास का बास महंगाई राहत कैम्प/प्रशासन गांवों के संग में पेश होकर पक्षकारान द्वारा निवेदन करने पर नाम दुरुस्त हो जाने पर प्रकरण को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं होने पर प्रार्थी/वादी के द्वारा प्रार्थना पत्र विद्वा का पेश कर वादपत्र बाबत् घोषणा, दुरुस्ती रिकॉर्ड को इसी स्तर पर विद्वा किये जाने का निवेदन करने पर प्रार्थना पत्र विद्वा को स्वीकार कर वादपत्र बाबत् घोषणा, दुरुस्ती रिकॉर्ड को विद्वा किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;"> दिलीप सिंह सहायक कलक्टर (रिस्ट्रैक) श्रीमधोपुर (सीकर)</p>	